

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार**

संदर्भ: ओआरजी-2021-22-000058

15.12.2021

एपीडा द्वारा सलाहकार (जैविक कृषि संवर्धन) सेवाओं की नियुक्ति की जा रही है। इस पद दो वर्ष की अवधि (विस्तार योग्य 1 वर्ष) के लिए अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा।

2. आवेदक द्वारा केवल एक आवेदन को प्रस्तुत किया जाए। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की पुष्टि नहीं होती है।

4. आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए।

5. आवेदन को एक लिफाफे में रख कर उस लिफाफे पर **“सलाहकार (जैविक कृषि संवर्धन) के पद के लिए आवेदन”** लिखें। इस लिफाफे को रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित पते पर **7 जनवरी, 2022 को शाम 5:30 बजे तक** भेजें:-

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक),

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016

उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पत्र को **“सलाहकार (जैविक कृषि संवर्धन) के पद के लिए आवेदन”** शीर्षक लिख कर [ssnayyar@apeda.gov.in](mailto:ssnayyar@apeda.gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

6. सक्षम प्राधिकारी के पास अपने विवेक से किसी भी आवेदन / उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में आवेदक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

7. अपूर्ण / अहस्ताक्षरित आवेदन और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को उम्मीदवार को कोई सूचना दिए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

8. गलत घोषणा/झूठी जानकारी जमा करने या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्रवाई होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

9. नियुक्ति, योग्यता, अनुभव आदि के लिए स्थिति और नियम एवं शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:

01	पद का नाम	सलाहकार (जैविक कृषि संवर्धन)
02	पदों की संख्या	01
03	नियुक्ति की प्रणाली	लघु अवधि कॉन्ट्रैक्ट
04	कॉन्ट्रैक्ट की अवधि	दो वर्ष (विस्तार योग्य 1 वर्ष)
05	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता  वांछनीय योग्यता  अनुभव	<p>कृषि में मास्टर डिग्री</p> <p>प्रासंगिक विषय कृषि में पीएचडी मास्टर डिग्री</p> <p>जैविक खेती/अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानक/क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।</p> <p>जैविक कृषि और संबंधित जैविक / जैव खाद्य उत्पादन और विपणन में कम से कम 10 वर्षों के प्रोफेशनल अनुभव के साथ कृषि / कृषि प्रणालियों में एड्वांस्ड यूनिवर्सिटी डिग्री</p> <p>सरकार, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ जैविक खेती विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निर्माण में व्यापक अनुभव।</p> <p>सलाहकार के पास उत्कृष्ट संचार, विश्लेषणात्मक और लेखन कौशल होना चाहिए - समय के दबाव में लिखने की क्षमता, संक्षिप्त, तार्किक रूप से संरचित और एक स्थापित रूपरेखा और प्रारूप का उपयोग करके बिंदु तक रिपोर्ट - और तार्किक रूप से कार्यक्रमों और परियोजनाओं की अवधारणाओं को सिद्ध करने की क्षमता।</p> <p>सलाहकार के पास उत्कृष्ट संचार, विश्लेषणात्मक और लेखन कौशल हो - समय के दबाव में लिखने की क्षमता, संक्षिप्त, तार्किक रूप से संरचित एवं एक स्थापित रूपरेखा और प्रारूप का उपयोग करके टू द प्वाइंट रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता हो और कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तार्किक रूप से अवधारणाबद्ध करने की क्षमता हो।</p> <p>कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना।</p>
06	आयु	50 वर्ष (न्यूनतम) 60 वर्ष (अधिकतम)
07	पारिश्रमिक (प्रति माह)	₹1.10 लाख (10% की वार्षिक वृद्धि)

10. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या ई-मेल द्वारा) : **7 जनवरी, 2022- शाम 5:30 बजे**

## सलाहकार के पद के लिए कार्य का क्षेत्र (जैविक कृषि संवर्धन)

### 1. जैविक उत्पादन और आपूर्ति के लिए बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करना

- क. राज्य /मूल्य संवर्धन/जैविक उत्पादों के विपणन में जैविक खेती के विस्तार और प्रमाणन आदि के लिए राज्य सरकारों/लाइन विभाग/उद्योग संघ, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ नेटवर्किंग करना।
- ख. बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना।
- ग. राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जैविक खेती और बाजार संचालित उत्पादन में नए किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास करना।
- घ. (एनपीओपी) के अंतर्गत थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रमाणित होने के लिए पीजीएस को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ समन्वय करना।
- ड. जैविक बीज बैंकों की स्थापना, जैविक आदानों की उपलब्धता आदि के लिए राज्य सरकार, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

### 2. जैविक हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- क. जैविक उत्पादन, जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता, जैविक खेती अभ्यासों और जैविक प्रमाणीकरण मानकों, एनपीओपी के अंतर्गत आवश्यकताओं, एनपीओपी मानदंडों के कार्यान्वयन और फार्म स्तर आदि पर ट्रेसिबिलिटी पर राज्य सरकार के अधिकारियों/निर्यातकों/किसानों/कृषि विश्वविद्यालयों आदि के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण वार्षिक कैलेंडर का विकास करना।
- ख. प्रशिक्षण नियमावली का विकास और अपग्रेडेशन।
- ग. किसानों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में एनपीओपी मानकों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करना।
- घ. संबंधित तकनीकी संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके किसानों, एसएमई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रशिक्षण देना।

### 3. जैविक हितधारकों के लिए आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना

हितधारकों को जागरूक करने के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) पर समय-समय पर आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

#### 4. आयातक देशों में एनपीओपी प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए बाजार को बढ़ावा देना

- क. सम्मेलन, प्रचार कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, बीएसएम आदि का आयोजन
- ख. जैविक उत्पादों के निर्यातकों और आयातकों के साथ बी 2 बी बैठक
- ग. वर्तमान कोविड स्थिति के दौरान वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक के माध्यम से आयातकों से जुड़ना।
- घ. जैविक उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज
- ङ. केंद्रित उत्पादों और गंतव्य के लिए देश विशिष्ट व्यवधान
- च. केंद्रित स्थलों का बाजार सर्वेक्षण
- छ. उद्योग समेकन / प्रतिपुष्टि
- ज. विशेष रूप से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय किसानों/निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापार मेलों को निर्धारित करना
- झ. ईओआई के माध्यम से जैविक निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापार मेलों में भागीदारी, उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रस्ताव तैयार करना
- ञ. जैविक उत्पादों, जैविक उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और समकक्षता के लिए संभावित देशों की पहचान करना जिन्हें निर्यात आदि के लिए प्रेरित किया जा सकता है

#### 5. प्रत्यक्ष विपणन हेतु ई-मार्केट्स का विकास

ऑनलाइन नीलामी और जैविक उत्पादों की स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ई-कॉमर्स बी2बी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से निर्यात के लिए नए प्लेटफॉर्म तलाश करना। अवधारणा नोट (कॉन्सेप्ट नोट) तैयार करना, सेवा प्रदाताओं के साथ परस्पर बातचीत करना आदि।

#### 6. ब्रैंडिंग और प्रचार

- क. इंडिया ऑर्गेनिक के उत्पादों पर प्रकाशन के लिए सामग्री तैयार करना, और देश के भीतर और आयात करने वाले देशों में न्यूजलेटर, बुलेटिन, ई कैटलॉग, कॉफी टेबल बुक आदि के माध्यम से इसे प्रसारित करना।
- ख. इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड और लोगो को लोकप्रिय बनाने के लिए एनपीओपी लोगो प्रचार किया जाए।
- ग. सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार, प्रेस विज्ञप्ति के लिए सामग्री तैयार करना।
- घ. भारत में अपने मूल से जैविक उत्पादों की यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचने पर केस स्टडी तैयार करना।

ड. प्रदर्शन और प्रचार के लिए हवाई अड्डों, मॉल और त्योहारों पर एनपीओपी के अंतर्गत जैविक प्रचार के लिए संबंधित विभाग, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना।

**7. परियोजना प्रस्ताव और अध्ययन**

क. जैविक उत्पादों के लिए परियोजना मोड प्रस्तावों को तैयार करना।

ख. जैविक उत्पादों पर एपीडा द्वारा / एपीडा के समर्थन से किए गए किसी भी अध्ययन का पर्यवेक्षण करना।

**8. जैविक उत्पादों का निर्यात**

जैविक उत्पादों के फ्लैग ऑफ/शिपमेंट के लिए एपीडा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय करना।

**9. डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट**

डॉक्यूमेंटेशन और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, केस स्टडीज, अवधारणा नोट्स, निर्यात विश्लेषण आदि तैयार करना

10. कोई अन्य कार्य/गतिविधि जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन कार्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानी जाती है, को कार्य के दायरे का हिस्सा माना जाएगा।

11. विभिन्न देशों के सरकारी मंत्रालयों/संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि में शीर्ष संस्थानों के साथ समन्वय करना और एनपीओपी को उनके संबंधित जैविक मानकों के साथ मान्यता और सामंजस्य प्राप्त करना और भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय जैविक व्यापार समझौते के लिए समानता प्राप्त करना।



12. अनुभव (कृपया नवीनतम से शुरू करें):

नियोक्ता का नाम	ग्रहित पद	अवधि		ग्रेड पे और मूल वेतन/सीटीसी के साथ वेतनमान/वेतन बैंड	कार्य की प्रकृति (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट संलग्न करें)
		से	तक		

13. जैविक या प्रासंगिक क्षेत्र के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया या आयोजित किया गया हो:	
14. अब तक पूर्ण की गई जैविक खेती से संबंधित परियोजना का विवरण	
15. व्यावसायिक निकायों, जैविक खेती से संबंधित संघ की पिछली और वर्तमान सदस्यता	
16. क्या आपको कभी किसी पद से बर्खास्त/दंड/निलंबित किया गया है? यदि हां, तो कारण बताएं:	
17. जैविक खेती के क्षेत्र में अपने अतीत और वर्तमान कार्य / भागीदारी और आप भारत से जैविक उत्पादन और इसके निर्यात के विकास में कैसे योगदान दे पाएंगे पर एक नोट लिखें (न्यूनतम 500/1500 शब्द):	

**घोषणा**

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि किसी भी समय मेरे द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया/विकृत किया गया पाया जाता है, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर समाप्त कर दी जाएगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर  
नाम:

स्थान:-

तिथि:-